

सामाजिक मांग तथा इसको सन्तुष्ट करने के लिए शैक्षिक लक्ष्य की क्षमता के बीच संबंध शैक्षिक नियोजन का मुख्य बिंदु है। शिक्षा के लिए इच्छा तथा शैक्षिक प्रक्रिया में वारंवारिक अयोग्यता के बीच की खाई अनेक प्रकार की आर्थिक-सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। ऐसी अनेक मुश्किलों जिनका प्रयोग शैक्षिक लक्ष्य मांग और प्रति के बीच की खाई को पालने के लिए कर सकता है। यह अधिक प्रवेश, भीड़ युक्त शिक्षाओं को जन्म दे सकता है तथा सम्भाव्यता गुणवत्ता में गिरावट ला सकता है। यह युक्ति सामाजिक मांग को सन्तुष्ट कर सकती है लेकिन इसका परिणाम विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च दर, स्तर में गिरावट तथा जनसंसाधन का अपव्यय हो सकता है। भारत इस समस्या का सामना लम्बे समय से कर रहा है। शैक्षिक नियोजन का यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि शैक्षिक सुविधाओं व्यक्तियों की मांग के अनुपात में ही दी जानी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि शैक्षिक विस्तार की कोई सीमा ही न हो। सामाजिक मांग मॉडल ही केवल ऐसा विचार नहीं जो शैक्षिक नियोजन को निर्देशित करे स्वयं इसके पैरामीटर को निर्धारित करे यदि शिक्षा के लिए सामाजिक मांग को ही पूरा महत्व दिया जाता है तो यह बेरोजगारी को तथा शिक्षित अन्ध बेरोजगारी को जन्म देगी जो अन्त में सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता को धक्का पहुंचा सकती है। अतः सभी मॉडलों को संतुलित ध्यान देने की जरूरत है।

प्रार्थित दर या विनिर्माण उपागम (मॉडल)  
(The Rate of return approach)

इसको शैक्षिक नियोजन के लागत लाभ [Cost benefit] या लागत प्रभावशीलता [Cost effectiveness] मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि

शिक्षा में निवेश- व्यय इससे प्राप्त होने वाले लाभ या प्राप्ति पर आधारित होना चाहिए। इस उपागम में यह धारण निहित है कि शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय निवेश- व्यय के रूप में लिया जाना चाहिए। जिसकी पुष्टी शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा अधिक उत्पादन तथा अधिक आय के रूप में करा जा सकती है। शिक्षा को कभी भी अपने में साध्य नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इसे केवल निवेश व्यय के रूप में भी नहीं लिया जा सकता। इसको आर्थिक विकास के साथ जोड़ना आवश्यक है। निवेश व्यय के रूप में शिक्षा का अन्य बातों से

(1) प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी की उत्पादन क्षमता विकसित होनी चाहिए।

(2) शिक्षित व्यक्ति की आय का स्तर अशिक्षित व्यक्ति की आय से उंचा होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कहा जा सकता है कि शिक्षा पर प्राप्ति सकारात्मक है।

सैक्युलर रूप से शिक्षा में निवेश व्यय व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के स्तर पर उस समय तक सकारात्मक होगा जब तक शिक्षित बेरोजगारी नहीं है। सकारात्मक निवेश व्यय शिक्षा तथा राष्ट्र की मानव शक्ति भाँगे के बीच व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है। शिक्षा के लिए यह आशा की जाती है कि वह व्यक्ति तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लाभकारी होगी।

# Kinds of Educational Planning.

## (शैक्षिक नियोजन के प्रकार)

उपयुक्त सन्दर्भ पर निर्भर करते हुए निर्णय लेंगे स्वतंत्र कई प्रकार हैं। उनमें से कुछ अंगे दिये जा रहे हैं :

① सामरिक नियोजन (Strategic Planning) → इसे दीर्घ कालीन नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था में फोकस करता है। यह संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है तथा विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले उपायों को भी निर्दिष्ट करता है। दीर्घकालीन नियोजन दस से बीस वर्ष तक की अवधि का होता है तथा बृहद् परिपेक्ष्य पर आधारित होता है।

② अल्पकालीन नियोजन (Short-term Planning) → अल्पकालीन नियोजन का परिणाम एक ऐसी योजना होता है जो 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। यह दबाव युक्त न तात्कालिक समस्याओं के समाधान पर फोकस करती है। किशोरा एवं लघु उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन नियोजन अधिक उपयुक्त है।

③ प्रबन्ध नियोजन (Management Planning) → इसका लक्ष्य उन तैयार योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निर्णयों से है जो इसका सम्बन्ध लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्रभावशीलता एवं दक्ष प्राप्ति से है। यह नियोजन प्रक्रिया का एक अंग है जो बल निर्वाहों को लेने के बाद क्रियान्वित किया जाता है। इसका प्रयोग दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के योजनाओं में किया जाता है।

④ आधार नियोजन (Grass-root Planning) → शैक्षिक नियोजन किया जा सकता है अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राजकीय स्तर,

जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या संस्थागत स्तर। राष्ट्रीय स्तर का नियोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत व्यापक है तथा उन जगहों को ध्यान में रखा है जो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के समन्वित एवं समुचित विकास को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत विशिष्ट एवं विस्तृत योजनाएँ भी राजकीय जिला, ब्लॉक या संस्थागत स्तर पर तैयार की जा सकती हैं।

(5) क्षेत्र नियोजन (Area Planning) :- क्षेत्र नियोजन जिला स्तर पर नियोजन के अन्तर्गत है। यह भी आधार स्तर नियोजन का ही एक रूप है। जिला स्तर के नियोजन एवं क्षेत्र नियोजन के बीच अन्तर केवल क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र का है। जिला स्तर के नियोजन में ध्यान का केन्द्र जिला होता है जो कि निश्चित होता है। क्षेत्र नियोजन के मात्रले में यह संभव विशिष्ट क्षेत्र हो सकता है। जिला पर विकास के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र नियोजन में योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलग से बजट रहता है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सत्ता को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।

(6) संस्थागत नियोजन (Institutional Planning)

आधार स्तर नियोजन में से एक संस्थागत नियोजन है। यह सबसे निम्न स्तर का होता है जिस पर नियोजन किया जाता आवश्यक है। इसके द्वारा उन संसाधनों के सर्वोत्तम और अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है जो एक संस्था के पास होते हैं या हो सकते हैं। संस्था ही अपनी उन आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह जान सकती है जिनको पूरा किया जाना है एवं जिनका समाधान किया जाना है। इसीलिए संस्था ही अपने कल्याण एवं विकास के

लिए सर्वोत्तम योजना बना सकती हैं।

शैक्षिक नियोजन के उत्तराधिकार के निर्धारित तथा व्यवस्थित विकास एवं उन्नति के माध्यम से वैयक्तिक संस्थाओं के द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था को अपनी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएँ बनानी चाहिए। अतः "संस्थागत नियोजन" से तात्पर्य उन योजनाओं से है जो व्यक्तिगत शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं निर्मित की जाती हैं एवं क्रियान्वित की जाती हैं।

संस्थागत नियोजन का महत्त्व →

(Importance of Institutional Planning) → संस्थागत नियोजन से कई उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:-

(क) संप्रभुता को निश्चित करता है (Ensures Autonomy) →

शैक्षिक संस्थाएँ प्रायः अपनी संप्रभुता (स्वायत्ता) के लिए लड़ती हैं। संप्रभुता का तात्पर्य अपनी उन्नति एवं विकास की योजना बनाने तथा उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने की स्वतन्त्रता से है।

(ख) स्थिरता प्रदान करता है (Gives Stability) → एक शैक्षिक संस्थान में स्थिरता का होना आवश्यक है। निर्धारित एवं व्यवस्थित रूप में कार्य करने से नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं की निरन्तरता तथा उनमें सुधार सुनिश्चित है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन संस्था को स्थिरता तथा शक्ति प्रदान करता है।

(ग) समस्याओं के समाधान में सहायक है (Helps in Solving Problems)

शैक्षिक प्रशासन को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टाफ और

विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताएँ तथा आवश्यकताओं की परिवर्तनशील परिस्थितियों हैं। प्रत्येक कार्य आशाकुमार आगे नहीं बढ़ता और वह अपने-अपने स्तर-यात्रों को जन्म देता है। इनसे से अधिक समस्याएँ संस्था ने विशिष्ट होती हैं तथा कुछ सभी में समाप्त होती हैं। संस्थागत नियोजन इन समस्याओं को ध्यान में रखता है तथा उनके समाधान में संलग्न होता है। इस प्रकार संस्था की कार्य-प्रणाली को सरल बनाता है।

(d) सुधार लाता है (Brings about improvement) →

शिक्षा एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ परिस्थितियों के अनुसार बदल रही हैं। अच्छे शैक्षिक कार्यकर्ता अपनी वर्तमान उपलब्ध से कमी भी सह्य नहीं करते, अपितु अच्छे ढंग से कार्य में संलग्न रहते हैं। संस्थागत नियोजन संस्था के परिचय के कार्य में वांछित सुधार का ध्यान रखता है। इस प्रकार सिखने-सिखाने की प्रक्रिया प्रक्रिया, पाठ्य सामग्री तथा पाठ्योत्तर कार्य क्लाप सभी में सुधार किया जाता है।

(e) भावी उन्नति को सुरक्षित करता है

(Secures future progress) → जीवन तथा शिक्षा दोनों ही गतिशील हैं

शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं विकासोन्मुख होना चाहिए। अच्छे प्रशासक का उद्देश्य निरन्तर भावी उन्नति करना होता है। संस्थागत नियोजन चाहे वह दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन भविष्य की ओर देखता है। यह स्व-सहयता तथा स्व-पुनरास द्वारा निरन्तर भावी तरिकों को